

परिभाषाएँ

3. जब एक विषय का संदर्भ में कोई प्रतिवृत्त बात न हो इस निम्नवर्ती में :-

- (क) किसी पर-के सम्बन्ध में 'निम्नलिखित प्रवृत्तियों' से प्रमुख लेखालय एवं प्रमुख कोषग्रन्थ, मुख्य लेखालय एवं मुख्य कोषग्रन्थ के पदों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में एक अधिकारी जो सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित सचिव (अधिष्ठाता का प्रवर्तक) से निम्न स्तर का न हो, अधिष्ठित है।
- (ख) 'भारत का मानचित्र' से ऐसी व्यक्ति अधिष्ठित है जो सचिवालय के भाग हो के अधीन भारत का मानचित्र हो या संस्था कार्य।
- (ग) 'अध्यापक' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अधिष्ठित है।
- (घ) 'सचिवालय' से भारत का सचिवालय अधिष्ठित है।
- (ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अधिष्ठित है।
- (च) 'उत्तराखण्ड' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अधिष्ठित है।
- (छ) 'सेवा का संदर्भ' से सेवा के संदर्भ में किसी पर-पर इस नियमावली या इस नियमावली के अन्तर्गत होने के पूर्व प्रयुक्त विषयों या अधीन के अधीन मौखिक रूप से विद्यमान व्यक्ति अधिष्ठित है।
- (ज) 'प्रमुख सचिव/सचिव' से सचिवालय प्रशासन विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव अधिष्ठित है।
- (झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा अधीन सेवा अधिष्ठित है।
- (ञ) 'नीतिक विद्युत्' से सेवा के संदर्भ में किसी पर-पर ऐसी विद्युत् अधिष्ठित है जो उत्तरी विद्युत् न हो और नियमों के अनुसार यथन के अनुसार की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी विभिन्न कर्मचारी अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
- (ट) 'नई का नई' से किसी कर्मचारी एवं की पहली चुनौती से प्रारम्भ होने वाली बात नए नए की अधीन अधिष्ठित है।

धारा - दो संदर्भ

सेवा का संदर्भ

4. (1) सेवा की प्रारम्भ शुरुआत और प्रारम्भ प्रारम्भिक सेवा के पदों की संख्या प्रत्येक होती जिसकी शुरुआत प्रारम्भ द्वारा शुरुआत-प्रारम्भ से अन्तर्गत की प्रारम्भिक।

- (2) जब तक कि उपनिबन्ध (1) के अन्तर्गत परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत् होगी -

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष	—	04	04
2.	मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष	—	07	07
3.	लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष	—	13	13
4.	सहायक लेखाकार	—	22	22

परन्तु -

(एक) निम्नलिखित प्राधिकारी किसी स्थित पद को बिना उसे छोड़ सकता है या सम्पन्नता उसे आस्थायित रख सकता है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष का इकायर न होगा।

(दो) असाधारण एवं अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का अङ्कन यह होगा है, जितने वह उचित समझें।

नाम - सीन - मर्ती

मर्ती का शीर्ष

3. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मर्ती निम्नलिखित शर्तों से की जायेगी -

(एक) प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष

भौतिक रूप से निवृत्त प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने मर्ती के वर्ष से छठम दिवस को इस रूप में काम से कागज पत्रों की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति से सम्मान से पदोन्नति द्वारा।

(दो) मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष

भौतिक रूप से निवृत्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष में से, जिन्होंने मर्ती के वर्ष से छठम दिवस को इस रूप में काम से कागज पत्रों की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति से सम्मान से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि पदोन्नति के दिने उपयुक्त अस्थायी अङ्कन न हो तो अङ्कन के बीच में विस्तार सेवक भौतिक रूप से निवृत्त लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष को स्थानित करने की शक्ति होगा जो संभव है।

(टीप) लेखाकार एवं जोषामन्त्र

भौतिक रूप से निपुण सहायक लेखाकारों में से जिनमें भागी हो कर के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी रूप ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से परीक्षा द्वारा।

परन्तु यदि परीक्षा के लिये उपयुक्त अर्हतायुक्त व्यक्तियों में से कोई भी पाठ्य के क्षेत्र में विस्तार केवल भौतिक रूप से निपुण सहायक लेखाकारों को सम्मिलित करने के विदे किया जा सकता है।

(ब) सहायक लेखाकार

अर्थीक के माध्यम से सीधी भागी द्वारा।

अवधान

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को उत्तराखण्ड राज्य के विधानों की, के लिए अवधान, भागी के साथ प्रमुख सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग - भाग - अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी तरह के सीधी भागी के लिए यह आवश्यक है कि अर्हताएं :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) किसी अर्हतायुक्त हो जो भारत में स्थानीय विधान के अधिनियम से पदवी जनवरी, 1952 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय पदवी का ऐसा अधिकारी हो जिसमें भारत में स्थानीय विधान के अधिनियम से पदविधान, वर्ष (विमान), पेंशन या किसी पूर्ण अर्हतायुक्त देश के विमान, युवादा और युवाईटेंड रिजर्विक अथवा तनजागिच (पूर्वजाती प्रांगणिका और अर्हतायुक्त) से प्रयोजन किया हो।

परन्तु उपरोक्त सभी यह या या के अर्हतायुक्त को ऐसा अधिकारी होना चाहिये जिसके पास में राज्य सरकार द्वारा राजस्व का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि सेवा यह में अर्हतायुक्त से यह को प्रवेश की जायेगी कि यह पुरवित रूप महामिरीक्षण, अधिसूचना द्वारा, उत्तराखण्ड से राजस्व का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

प्राप्तु यह भी कि यदि कोई अर्जदारी उपरोक्त शर्तों का ही तो पालन का प्रमाण एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अर्जदारी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर नहीं दिया जायेगा कि वह सेवा की कारगरता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी - ऐसे अर्जदारी को जिसके मामले में पालन का प्रमाण एक अवसर पर ही प्राप्तु यह न हो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी विशेष या सार्वजनिक में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इन्हें शर्त पर अर्जदारी का प्रमाण भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण एक एकके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके बाद में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक योग्यता

8. सेवा में सीपी भर्ती के लिए अर्जदारी को निम्न जटिलता को प्राप्त करना है -

- (एक) उच्च में शिक्षा द्वारा स्वयं किसी विश्वविद्यालय से सेवा करने के समय अभिज्ञान में स्नातक अर्थात् या सेवा करने में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रमाण प्राप्त कोई अन्य उच्चतर, और
- (दो) वेतनगरी नियम में शिक्षा किसी का अनुक्रम।

अधिष्ठाती अहंताएं

- 9. अन्य शर्तों के अन्तर्गत होने पर सीपी भर्ती के मामले में ऐसे अर्जदारी को अधिष्ठाती दिया जायेगा जिसने -
 - (एक) राष्ट्रीय सेवा में अनुभव दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या,
 - (दो) राष्ट्रीय सेवा में दो वर्ष अनुभव का प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीपी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अर्जदारी ने उस वर्षोत्तर वर्ष की तिथि तक अपने द्वारा सीपी भर्ती के लिए अभिष्ठाती दिखाने की कार्य, पहले फुलटाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

प्राप्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणियों से जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिष्ठाती की कार्य अर्जदारी को प्राप्त में अन्तर्गत आयु शर्त को जाने एवं अधिक होनी दिखानी निर्दिष्ट की जाय।

परिवर्त

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का प्रतिष्ठित ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में संश्लेषण के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, निम्नलिखित प्राविकारी इस सम्बन्ध में अग्रिम समाधान करेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वाभिव्यक्तियों या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निरवयव द्वारा परामुक्त अतिरिक्त सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। नैतिक अयोग्यता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

वैयक्तिक प्राविकारी

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा युक्त ~~अभ्यर्थी~~ पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी अधिक अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसी युक्त से विवाह किया हो, जिसकी पहली से एक बच्ची जीवित हो।

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

भारतीय स्वयंसेवा

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पर्याप्त स्वस्थ व्यक्ति न हो और वह किसी ऐसी शारीरिक दौरे से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का पर्याप्तपूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अतिरिक्त रूप से अनुसूचित विधे जाने के पूर्व अपनी मर्त जखीरा की जायेगी कि वह किसी अन्य प्रतिस्पर्धी, उनके दो भाग होने के अन्तर्गत ही न होवे परन्तु मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वयंसेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु यह कि अधोपरोक्त द्वारा नहीं किये गये अभ्यर्थी से स्वयंसेवा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग - पांच-वर्षी की प्रक्रिया

सिद्धियों की
अवधारणा

14. नियुक्ति प्राविकारी एवं के प्रवर्तन नहीं जाने वाली सिद्धियों की संख्या और नियम 3 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए प्राविकारी को जाने वाली सिद्धियों की संख्या से अलग-थलग करेगा। जातीय के सम्बन्ध में भी जाने वाली सिद्धियों की संख्या पर ही जायेगी।

सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) प्रविष्टिगता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में अधिसूचित प्रथम में अर्जित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अर्थवर्षी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किये गये प्रवेश पत्र न हो।

(3) सारान द्वारा आयोग के सहायक से अध्यापित पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों की प्रमाणिकतात्मक लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम ६ के अन्तर्गत अनुसूचित जातीयों, अनुसूचित जनजातियों और तथा श्रेणियों के अर्थवर्षी को सम्बन्ध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अर्थवर्षियों की उम्मीद योग्यता कर में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अर्थवर्षी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और सारणी संख्या में अर्थवर्षियों को जितनी-जितनी वह विद्युत के लिए अर्जित समझे, संलग्न करेगा। यदि दो या अधिक अर्थवर्षियों द्वारा लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए हो तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले अर्थवर्षी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अर्थवर्षी द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हो तो जापु में ज्येष्ठ अर्थवर्षी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। सारणीय सूची विद्युत प्रविष्टिगता को अधिसूचित करेगा।

प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष तथा लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) प्रमुख लेखाकार एवं प्रमुख कोषाध्यक्ष, मुख्य लेखाकार एवं मुख्य कोषाध्यक्ष तथा लेखाकार एवं कोषाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपपुस्तक की अस्वीकार करने हुए ज्येष्ठता के आधार पर उक्त शर्तों के महत्त्व से की जायेगी, जिनमें निम्नलिखित होंगे -

(1) प्रमुख सचिव/ सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग - अर्थव्य

(2) प्रमुख सचिव/ सचिव, सचिव द्वारा - नमित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव सार से निम्न न हो - सहायक

(3) प्रमुख सचिव/ सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा - नमित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव सार से निम्न न हो - सहायक

किन्तु, यदि ज्येष्ठतापूर्वक सचित सारन समिति ने अर्थव्य अर्थव्य सहायक से कोई भी अनुसूचित

की, जहाँ-तहाँ का नहीं है जो विधुक्ति अधिनियमों के अन्तर्गत जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद अधिनियम बना के विधान में जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

(2) विधुक्ति अधिनियमों, प्रास्ताविक (1) के अन्तर्गत जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद अधिनियम बना के विधान में जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

संविधान - इस विधान में जो विधान (2) में उल्लिखित अधिनियमों में -

(1) "विधानों की संख्या" का तात्पर्य नहीं है जो कि संसद के द्वारा विधान में नहीं है जो कि संसद द्वारा जारी अधिनियमों के अन्तर्गत अधिनियमों को जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

(2) संसद द्वारा जो अधिनियमों में जो संसद द्वारा जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

(3) विधुक्ति अधिनियमों, अधिनियमों को संसद द्वारा जो संसद द्वारा जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

(4) संसद द्वारा जो अधिनियमों में जो संसद द्वारा जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

(5) संसद द्वारा जो अधिनियमों में जो संसद द्वारा जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

भाग - II - विधुक्ति अधिनियमों, अधिनियमों और अधिनियमों

विधुक्ति

(1) अधिनियमों (2) में उल्लिखित अधिनियमों को जो संसद द्वारा जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

(2) अधिनियमों (3) में उल्लिखित अधिनियमों को जो संसद द्वारा जारी किये जायेंगे उनमें से जो किन्हीं एक अधिनियमों को जो संसद के रूप में एक अधिनियम करेगा।

परिरीक्षा

10. (1) सेवा में किसी बंद पर मौलिक धन से नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक बर्ष की अवधि के लिए परिरीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से, जो अनिश्चितता किये जायें, अलग-अलग मामलों में परिरीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायेगा प्रायः एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाय।

परन्तु यह कि आपराधिक क्रियाओं से निवारण परिरीक्षा अवधि एक बर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो बर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिरीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिरीक्षा अवधि को दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी जो यह प्रतीत हो, कि परिरीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने उत्तरदायी या पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अक्षमता प्रकट रहा है, तो उसे उसके मौलिक बंद पर, रक्षित कोई भी, प्रत्यक्षीकृत किया जा सकता है और यदि उसका किसी बंद पर बाल्याभिव्यक्त न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिरीक्षाधीन व्यक्ति जिस पर नियम 3 के अंतर्गत प्रत्यक्षीकृत किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी अधिकार का हस्तगत नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवायें में सम्मिलित किसी बंद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च बंद पर स्थानान्तरण या अक्षमता स्वयं से ही गयी निरन्तर सेवा को परिरीक्षा अवधि की समाप्ति करने की प्रवृत्तियों को किये जाने की अनुमति में सक्षम है।

स्थापीकरण

19. (1) उप नियम (7) के उपबन्धों को अर्धीन रहते हुए, किसी परिरीक्षाधीन व्यक्ति को परिरीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिरीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि :-

- (a) उसका कार्य और आचरण सर्वोत्कृष्टता बरतता रहा,
- (b) उसकी कार्यक्षमता प्रमाणित कर दी गयी, और
- (c) नियुक्ति प्राधिकारी का यह मतान्तरण हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए उचित अनुयायी है।

- (2) उहाँ संसाधन आयोग के सदस्यों के कार्यवाही के नियमों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, उहाँ उस नियमों के नियम 5 के अधिनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परीक्षा अपने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

जोशदा

20. किसी क्षेत्र के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के जोशदा समय-समय पर यथासंभवित उत्तराधिकार सार्वजनिक सेवा जोशदा नियमों के अनुसार व्यवस्थित की जायेगी।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न क्षेत्रों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमान वेतनमान ऐसा होगा जैसा संलग्न द्वारा समय-समय पर उपस्थापित किया जाय।

(2) इस नियमों के प्रारम्भ के समय प्रकृत वेतनमान नीचे दिया गया है :-

क्रम नं०	व्यवस्था	वेतनमान (रुपये में)
1.	पहापर सेवागण	4525-625- 7600
2.	सहायक एवं सहायक	6500-175- 9000
3.	मुख्य लेखापाल एवं मुख्य लेखापाल	7450-225-11500
4.	प्रमुख लेखापाल एवं प्रमुख लेखापाल	10000-325-15000

परिष्कार
वेतन

22. (1) कुल नियम में किसी प्रतिवृत्त पद की होने हुए भी, परिष्कार अधिनियम के, यदि वह पदों से उपाधी सरकारी सेवा में न हो, संसद में उपाधी प्रथम वेतनवृद्धि एक वर्ष की सेवा के पश्चात् लगी की जाने पर उपाधी परिष्कार अधिनियम पूरी बन ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो।

अतः यह कि यदि संसद प्रदान न कर उपाधी के कारण परिष्कार अधिनियम पेश हो इस प्रकार उपाधी नहीं उपाधी ली समय वेतनवृद्धि से प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्त अधिकारी अपना विरहित न हो।

(2) ऐसे अधिनियम का जो पहले से संसद के अधीन नहीं था लागू कर ला हो, परिष्कार अधिनियम में वेतन सुधारों का नियम द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

परन्तु यह कि यदि शीघ्र प्रदान न कर सकने के कारण परिशिष्ट अथवा ब्याची क्लॉप में इस प्रकार ब्याची बची अवधि की समाप्ति तेलन वृद्धि के लिए नहीं की जावेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से अथवा सरकारी सेवा में हो, परिशिष्ट अवधि में तेलन राज्य के कार्यकाल में सम्बन्ध में सेवाएँ सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू कृत्यगत नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

भाग - साठ - अन्य सम्बन्ध

ज्या सम्बन्ध

23. किसी घट पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अर्थात् नियमितों से विन्न किसी स्थितियों पर नहीं, लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अन्यथा की ओर से अपनी सम्बन्धिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं कर देगा।

अन्य नियमों का विनियमन

24. ऐसे नियमों के सम्बन्ध में जो निर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकाल में के सम्बन्ध में सेवाएँ सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों की स्थिति

में 25. जहाँ राज्य सरकार का यह सम्बन्ध हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को सेवा शर्तों को विनियमित करने का। किसी नियम के प्रयोग से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, जहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, उचित प्रायः उचित नियम की अपेक्षाओं को प्राप्त सेवाएँ तथा और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनमें वह मामले में व्यवसंनत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अधिभुक्त या विनियमित कर सकती है।

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम प्रयोग के प्रयोग के समाप्त गया हो जहाँ उस नियम की अवधि की अधिभुक्त या विनियमित करने के पूर्व उक्त नियम से प्रत्यक्ष क्लॉप प्रयोग।

व्यावृत्ति

26. इस नियमावली में किसी बात का जो उक्त ऐसे अर्थों और अन्य विचारों पर नहीं प्रयोग, किन्तु इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष द्वारा सम्बन्ध-सम्बन्ध पर जाते किने गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित व्यक्तियों, अनुसूचित जातजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अर्थात् हो।

अथवा ई.

एलएचएड मंत्र,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 256/100-(3)/2006-A-232306, dated August 27, 2007 for general information:

No. 256/100 (3)/2006-A-232306

Dated Dehradun, March 14, 2008

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service:-

THE UTTARAKHAND SECRETARIAT ACCOUNTS
CADRE SERVICE RULES, 2008

Part - 1 - General

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short title and Commencement. | 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service Rules, 2008.
(2) They shall come into force at once. |
| Status of the Service | 2. The Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service is a State service comprising Group 'A', 'B' and Group 'C' posts. |
| Definitions | 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
(a) 'Appointing Authority' in respect of the posts of Principal Accountant and Principal Treasurer, Chief Accountant and Chief Treasurer means the Principal Secretary/Secretary to Government Secretariat Administration Department and in respect of other posts in the Service means as before to the Post (Establishment Incharge) of Joint Secretary;
(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part (I) of the Constitution;
(c) 'Commission' means the Uttarakhand Public Service Commission;
(d) 'Constitution' means the Constitution of India;
(e) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;
(f) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;
(g) 'Member of the Service' means a person substantially appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre in the Service;
(h) 'Principal Secretary/Secretary' means the Principal Secretary/Secretary of the Government in the Secretariat Administration Department;
(i) 'Service' means the Uttarakhand Secretariat Accounts Cadre Service;
(j) 'Substantive appointment' means an appointment not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the post being by competitive examination stated by the Government;
(k) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year. |

PART - II- CADRE.

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the Service and of each category of posts there in shall, until orders varying the same are passed under sub rule(1), be given as under :-

S.No.	Name of the post	No. of Post		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Principal Accountant cum Principal Treasurer	—	04	04
2.	Chief Accountant cum Chief Treasurer	—	07	07
3.	Accountant cum Treasurer	—	13	13
4.	Assistant Accountant	—	22	22

Provision:-

- (i) The Appointing Authority may leave vacant if the Government may hold it desirable any vacant post, without thereby making any provision to compensation, and
- (ii) The Government may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III-RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(i) Principal Accountant cum Principal Treasurer:-

By promotion through the Selection Committee from amongst indifferently appointed Chief Accountant cum Chief Treasurer who have completed three years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

(ii) Chief Accountant cum Chief Treasurer :-

By promotion through the Selection Committee from amongst indifferently appointed Accountant cum Treasurer who have completed five years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

Provided that if suitable candidates for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including indifferently appointed Accountant cum Treasurer only.

(iii) Accountant cum Treasurer :-

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Accountant who have completed five years service in such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

Provided that if suitable candidates for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including substantively appointed Assistant Accountants only.

(iv) Assistant Accountant :-

By direct recruitment, through Public Service Commission.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and other categories belonging to the state of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force in the state of recruitment.

PART-IV-QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :
 (a) a citizen of India, or
 (b) a Tibetan subject who came over to India before the 1st January, 1967 with the intention of permanently settling in India, or
 (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma (Myanmar), Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India, or

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government ;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility issued by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued to his benefit.

Academic qualification

8. A candidate for direct recruitment to the service must possess :-
 (i) A Bachelor's degree in Commerce of a University established by law in India, with Accounting; or post graduate diploma in Accountancy, or any other qualifications recognized equivalent thereto by the Government, and

(ii) Knowledge of Hindi written in Devnagri script.

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preferential qualification | 9. | <p>In the event of equal candidates, other thing being equal, a candidate will be given preference-</p> <p>(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or</p> <p>(ii) obtained a 'W' certificate of National Cadet Corps.</p> |
| Age | 10. | <p>A candidate for direct recruitment must have obtained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July, of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission;</p> <p>Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes, other Backward class and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.</p> |
| Character | 11. | <p>The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.</p> <p>NOTE:- Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment in any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.</p> |
| Marital Status | 12. | <p>A male candidate who have more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service;</p> <p>Provided that the Government may, if satisfied that there were special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.</p> |
| Physical fitness | 13. | <p>No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III.</p> <p>Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate exempted by provision.</p> |

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

- Determination of vacancies** 14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 5. The vacancies to be filled through the Commission shall be intimated in their.
- Procedure for direct recruitment to the post of Assistant Accountant** 15. (1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be called by the commission in the Proforma notified in the advertisement issued by the Commission.
- (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.
- (3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 5, prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in total then the candidate who obtain more marks in written shall be placed higher in the list. If the candidates also get equal marks in written exam then the candidate whose age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.
- Procedure for recruitment by Promotion to the post of Principal Accountant - cum- Principal Treasurer, Chief Accountant - cum- Chief Treasurer and Accountant - cum- Treasurer** 16. (1) Recruitment in the post of Principal Accountant, Chief Accountant and Treasurer shall be made on the basis of seniority subject to the reservation of seats through a Selection Committee constituted as follows:-
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) Principal Secretary/ Secretary,
Secretariat Administration Department | - Chairman |
| (2) An officer not below the rank of
Joint Secretary nominated by
Principal Secretary/ Secretary,
Personnel | - Member |
| (3) An officer not below the rank of
Joint Secretary nominated by
Principal Secretary/ Secretary,
Secretariat Administration
Department | - Member |
- Provided that an Officer not below the rank of Joint Secretary belonging to scheduled cast or scheduled tribe nominated by the Appointing Authority, if the Appointing Authority or any Member doesn't belong to Scheduled Cast or Scheduled Tribe.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligible list according to the Uttarakhand (On Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Selection Rules, 2003.

Explanation - In this rule of sub-rule (2)-

(a) "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies, existing at the commencement of, or likely to occur during the year of recruitment.

(b) a single eligible list shall be prepared to cover all types of vacancies

(3) The Appointing Authority shall place before the selection committee the eligibility list of the candidates along with their character rolls and such other record pertaining to them, as may be available proper and also intimate to it the number of different type of vacancies.

(4) The Selection Committee shall consider the case of candidates on the basis of records, referred to in sub rule (3)

(5) The Selection Committee shall prepare list of selected Candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment 17. (1) Subject to the provision of sub-rule(2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 15 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment was issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection of, as the case may be, as it stood in the order from which they are promoted.

Probation 18. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is granted.

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post if any and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose probation was dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

- (5) The appointing authority may allow continuous services, rendered in an officiating or temporary capacity in a post include in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 19. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if :-

- his work and conduct are reported to be satisfactory,
- his integrity is certified, and
- the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Government Services Confirmation Rules, 2002, confirmation is not necessary the rule under sub-rule (1) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority 20. A seniority of the persons appointed substantively in any category of posts shall be determined in accordance with the provisions Uttar Pradesh Government Services Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

PART-VII- PAY ETC.

Scales of pay 21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed in the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the date of the commencement of these rules are given as follows :-

S. No.	Name of the post	Pay Scale (as reported)
1.	Assistant Accountant	4500 - 125 - 3000
2.	Accountant cum Inspector	5500 - 175 - 3600
3.	Chief Accountant cum Chief Treasurer	7400 - 225 - 11500
4.	Principal Accountant cum Principal Treasurer	10000 - 325 - 15200

Pay during probation 22. (1) Notwithstanding any provision in the Constitution, rules in the matter, a person on probation if he is not already in previous Government service, shall be allowed his full increments in the pay scale when he has completed after one year service the probationary period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding the post under the Government, shall be regulated by the relevant Provident Fund Rules.

Provided that, if the period of probation is the extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing 23. No recommendation, either written or oral, shall be made required under these rules applicable to persons in the post of services will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to make appeal directly or indirectly or his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 24. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the condition of service 25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that when a rule has been relaxed in consultation with the commission that body shall be consulted before the requirements of that rule are dispensed with or relaxed.

Saving 26. Nothing in these rules shall affect reservation and other special provisions relating to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other special categories of persons in accordance with the order of the Government in that behalf in force at the date.

By Order.

M. H. KHAN
Secretary.

(२) यदि किसी एक चरण के चयन में नियुक्ति के एक से अधिक आवेदन जारी किए जायें तो एक संयुक्त आवेदन भी जारी किया जायेगा, जिसमें उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख संघोपक्रम में किया जाएगा, वेनी कि उम्मीदवारी चयन में अन्तर्गत की जाय या जैसा कि उप संघर्ष में हो जिसमें उन्हें प्रयोज्य किया जाय।

(३) जहाँ नहीं के किसी जर्न में नियुक्ति वाली नहीं और प्रयोज्य होने द्वारा की जाती हो तो नियुक्ति नियुक्ति का एक नहीं हो जायेगा जब तक कि जेनरल में चयन न कर दिया जाय और नियम १६ उपविभाग (६) में अनुक्रम एक संयुक्त सूची देना न कर ले जाय।

(४) यदि किसी एक चरण में संसद में नियुक्ति के एक से अधिक आवेदन जारी किए जायें तो एक संयुक्त आवेदन भी जारी किया जायेगा, जिसमें उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख संघोपक्रम में किया जाएगा, वेनी कि उम्मीदवारी चयन में अन्तर्गत में चयन न होस, कि उन संघर्ष में हो जिसमें उन्हें प्रयोज्य किया जाय। यदि नियुक्ति वाली नहीं और प्रयोज्य होने द्वारा की जायें तो जाये हो नियम १६ उपविभाग (६) में निर्दिष्ट उन के अनुक्रम साज जायेगा।

नियम २१ को
संशोधन (२)
का प्रयोग

७. नून नियमवली के पीछे संसद-१ में दिने एवं संशोधन नियम २१ से उप नियम (२)के अन्तर्गत का साम्-२ में दिना गारा नियम एक दिना जायेगा, अर्थात्-

(३) उप नियमवली के अन्तर्गत के साम् प्रकाश केवलता पीछे दिने को है-

साम्-१			साम्-२		
(वर्षवार नियम)			(एकपुष्पा इतिवृत्त नियम)		
क्र. सं.	वर्षवार	केवलता (अर्थात् में)	क्र. सं.	वर्षवार	केवलता (उप में संशोधन को है।)
१.	साम्पद संशोधन	१८०-१९-२००	१.	साम्पद संशोधन इतिवृत्त (उप)	२२०-२३००११००
२.	साम्पद संशोधन	१९०-२९-३००	२.	साम्पद इतिवृत्त (उप)	३२०-३३००१४००
३.	साम्पद संशोधन एवं साम्पद संशोधन	१९०-३९-१९००	३.	साम्पद इतिवृत्त (उप)	४२०-४३००१६००
४.	साम्पद संशोधन एवं साम्पद संशोधन	१९०-४९-१९००	४.	साम्पद इतिवृत्त (उप)	५२०-५३००१८००

Accountant and Chief Treasurer,
Accountant and Treasurer and
Assistant Accountant occurs it shall
be read as Under Secretary
(Accounts), Section Officer
(Accounts), Reviewing Officer
(Accounts) and Assistant Reviewing
Officer (Accounts)

Amendment of
para(i),(ii),(iii)
and (iv) of rule 5. 3. In the Principal rules for the existing para (i),(ii),(iii) and (iv) of rule 5 set out in Column 1, below, the para set out in Column 2 shall be substituted, as follows, namely:-

Column-1
(Existing para)

Column-2
(Para as hereby substituted)

(i) Principal Accountant-cum-
Principal Treasurer:-

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Chief Accountant-cum-Chief Treasurer who have completed three years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

(1) Under Secretary (Accounts)

By promotion, through the Departmental Selection Committee, on the basis of seniority, subject to rejection of staff, from amongst the substantively appointed Section Officers (Accounts) who have completed at least three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(ii) Chief Accountant-cum-
Treasurer:-

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Accountant -cum-Treasurer who have completed five years service as such of the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

(2) Section Officer (Accounts)

By promotion, through the Departmental Selection Committee on the basis of seniority, subject to rejection of staff, from amongst the substantively appointed Reviewing Officers (Accounts) who have completed at least five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

Provided that if a suitable candidate for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including substantively appointed Accountant-cum-Treasurers only.

Provided that if suitable candidate is not available for promotion, the field of eligibility may be extended for the purpose of including the substantively appointed Reviewing Officers (Accounts) only.

(iii) Accountant-cum-Treasurer

(3) Reviewing Officer (Accounts)

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant

(1) 50 percent by direct recruitment through the Public Service Commission.

Accountant who have completed five years service as such in the Secretariat on the first day of the year of recruitment.

(2) 50 percent by promotion, by the Departmental Selection Committee through the Commission on the basis of seniority, subject to rejection of staff, from amongst such Assistant Reviewing Officers (Accounts) who have completed at least five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

Provided that if a suitable candidate for promotion is not available the field of eligibility may be extended for the purpose of including substantively appointed Assistant Accountants only.

Provided that if suitable candidate is not available for promotion, the field of eligibility may be extended for the purpose of including the substantively appointed Assistant Reviewing Officers (Accounts).

(iv) Assistant Accountant:-

(4) Assistant Reviewing Officer (Accounts)

By direct recruitment, through Public Service Commission.

100 percent by direct recruitment through the Public Service Commission.

Amendment of rule 8

4. In the Principal Rules, for the existing rules set out in column 1 below, the rule set out in column 2 shall be substituted, namely

Column-1
(Existing rules)

Column-2
(Rules as hereby substituted)

R. A candidate for direct recruitment to the service must possess-

R. Academic qualifications
A candidate for direct recruitment in the Service must possess the following qualifications:-

(i) A Bachelor's degree in Commerce of a University established by law in India, with Accountancy or post graduate diploma in Accountancy, or any other qualifications recognized equivalent thereto by the Government, and

(i) Bachelor Degree in Commerce with Accountancy from a university established by law in India and experience of computer operations of VY level certificate.

(ii) Knowledge of Hindi written in Devnagri script.

(ii) Knowledge of Hindi written in Devnagri script.

Addition of sub rule (4) of rule 16 after sub rule(3)

5. In the principal rules, for existing sub rule (3) in rule 16 below the sub rule 4 in column 2 shall be added as follows-

16(6) Combined Select List If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Amendment of rule 17 In the principal Rules, for the existing rules-17 set out in column 1 below, the rules set out in column 2 shall be substituted, namely:

In principal Rules below
column-1
(Existing rules)

Set out in existing rule-17, column-2
(Rules as hereby substituted)

6.17(1) Appointment Subject to the provision of sub-rule(2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 or 16 as the case may be.

17(1) Appointment Subject to the provision of sub rule (2), the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15 and sub rule (6) of rule 16 as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issue in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection of, as the case may be, it stood in the cadre from which they are promoted.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with sub rule (6) of rule 16.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in sub rule (6) of rule 16.

Amendment of 7. In the Principal Rules, for the existing rules set out in column 1 the rule sub rule (2) of set out in column 2 shall below, be substituted namely-
rule 21

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:-

Column-1 (Existing rules)		Column-2 (Rules as hereby substituted)		
S. N	Name of the post	Pay Scale (in rupees)	S. N	Designation Pay Scale (including Grade pay) Rs.
1	Assistant Accountant	5100-125-7666	1	Assistant Reviewing Officer (Accounts) 5200-26210+2800
2	Accountant cum Treasurer	5500-175-9000	2	Reviewing Officer (Accounts) 9500-34800+4200
3	Chief Accountant cum Chief Treasurer	7400-221-11500	3	Section Officer (Accounts) 9100-34800+6000
4	Principal Accountant cum Principal Treasurer	16000-325-13200	4	Under Secretary (Accounts) 15000-39000+6400

Substitution of 8. In the Principal Rules, for the existing rules set out in column 1 below, the rule set out in column 2 shall be substituted namely-
rule 22

Column-1 (Existing rules)	Column-2 (Rules as hereby substituted)
22(1) Pay during probation Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed after one year service the probationary period and is also confirmed.	22(1) Pay during probation Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed the probationary period and is also confirmed.
Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.	Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

Provided further that a person appointed to the post of Reviewing Officer (Accounts) shall be allowed his first increment only after he has passed the typing test on computer at the minimum speed of 4000 key depressions per hour.

(2) The pay during probation of a person who was already holding the post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

(2) The pay during probation of a person who is already holding a post under the government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if the period of probation is further extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increments unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants in connection with the affairs of the State.

(3) The pay during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

By Order,

Dr. RANBIR SINGH,
Principal Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य पारिभाषिक नियम)

देहरादून, बुधवार, 19 फरवरी, 2014 ई०

भाग 26, 1036 राक संख्या

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अभिस) अनुभाग-3

संख्या 234 / XXXXX / 2011-लेखा-40 / 2008

देहरादून, 19 फरवरी, 2014

अधिसूचना

इकीर्ण

संख्या-01

राज्यपाल, 'भारत का सचिवालय' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते, उत्तराखण्ड सेवा संवर्ण सेवा नियमावली, 2008 में अपेक्षित संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ण सेवा (संशोधन) नियमावली 2014

संश्लिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संश्लिप्त नाम उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सेवा संवर्ग सेवा नियमावली, 2008 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 21 के उप नियम (2) में उल्लिखित कर्मांक, पदनाम एवं वेतन क्रम में क्रमांक 5 में निम्नवत प्रविष्टि कर दी जायेगी—

"5 उप सचिव (सेवा) — 02 02"

नियम 5 का संशोधन 3. मूल नियमावली के नियम 5 के प्रस्तावों को पुनर्संरचित करते हुए एक नया प्रस्ताव "एक" निम्नवत जोड़ दिया जायेगा—

"(एक) मौखिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुसंधान (सेवा) जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त।"

नियम 16 का संशोधन 4. मूल नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 16 के उप नियम (1) में शब्द "अनुसंधान (सेवा)" से पूर्व शब्द "उप सचिव (सेवा)" जोड़ दिए जायेंगे।

नियम 21 का संशोधन 5. मूल नियमावली के नियम 21 के उप नियम (2) में उल्लिखित कर्मांक, पदनाम एवं वेतन क्रम में क्रमांक 5 में निम्नवत प्रविष्टि कर दी जायेगी—

"5 उप सचिव (सेवा) वेतन स्तर-3
15000-39100 पेंड वे रक 2800"

काका श्री

राज सिंह नेपालमान,
सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(समाच्य परिनिदेश निम्न)

देहरादून, सोमवार, 24 जुलाई, 2017 ई०

भाग 22, 1988 एवं 1992

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अर्थिक) अनुभाग-4

संख्या 881/XXX(X)/17/84(विधि)/2017

देहरादून, 24 जुलाई, 2017

अधिसूचना/प्रकीर्ण

संख्या/वि-28

राज्यपाल, "भाग का संशोधन" के अनुच्छेद 28 के अनुसार द्वारा प्रकाशित विधायी का प्रथम खण्ड, उत्तराखण्ड संविधान सेवा संघों सेवा विधायकी, 2017 में प्रकाशित संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित विधायकी बनाई है:-

उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संघों सेवा (संशोधन संशोधन) विधायकी, 2017

- विधायक नाम और प्राय
1. (i) इस विधायकी का संशोधन नम जलद्वारा सचिवालय सेवा संघों सेवा (संशोधन संशोधन) विधायकी, 2017 है।
 - (ii) यह सुनिश्चित होगा।

विधायक का संशोधन

उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संघों सेवा विधायकी, 2017 (विधायक-संशोधन का संशोधन) के विधायक 5 में संशोधन विधायक (विधायक) के 10 पर नहीं ही प्रकाशित में सेवा संशोधन-1 में प्रकाशित सेवा संशोधन विधायक के संशोधन का संशोधन-2 में विधायक सेवा विधायक सेवा विधायक, प्रकाशित:-

क्रुड नुड	डडनलड	सलडड-1	सलडड-2
		करुडडलड नलरुड	एलडुडडलरुड डुरलडडडलडलड नलरुड
1	सडुडल सलडलड (लरुडल) 02 डड	"डुडललक सडुड से नलरुडल एसे लड सलडलड (लरुडल) डे से डलरुडलडे डरुडल के वरुड डल डलरुडल डुलरुडल डुड इलस सडुड डे 21 वरुड डल सेडल डुरुड डर ली डुड, 'डुडुडल' के डलडलर डर डडुडनलडल डुरलरुड"।	"डुडललक सडुड से नलरुडल एसे लड सलडलड (लरुडल) डे से डलरुडलडे डरुडल के वरुड डल डलरुडल डुलरुडल डुड इलस सडुड डे 01 वरुड डल सेडल डुरुड डर ली डुड 'डुडुडल' के डलडलर डर डडुडनलडल डुरलरुड"।

डलडल से,

डलननुड डरुडलनु,
डरुडल सलडलड।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(साधारण परिशिष्ट नियम)

देहरादून, सोमवार, 17 जुलाई, 2017 ई०

आंकड़ा 28, 1000 110 सम्पूर्ण

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधीन) अनुभाग-4

संख्या 888/XXXI(न)/17/44(विधि)/2017

देहरादून, 17 जुलाई, 2017

अधिसूचना

अधीन

संख्या-28

राज्यपाल 'भारत इन सचिवालय' के अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत प्राप्त प्रेषित अधिसूचना का प्रयोग करते, उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संघर्ष सेवा नियमवली, 2003 में अद्यतन संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमवली जारी है:-

उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संघर्ष सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमवली, 2017

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>वर्षीय नया और प्रारम्भ</p> | <p>1. (1) इस नियमवली (क) संशोधन नाम उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संघर्ष सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमवली, 2017 है।
(2) यह दुबारा प्रकृत होगी।</p> |
| <p>नियम 3 का संशोधन</p> | <p>(क) उत्तराखण्ड लेखा संघर्ष सेवा नियमवली, 2003 (जिसे यहां जले हुए नियमवली कहा गया है) में नियम 3 के खण्ड (3) में शब्द 'एन सचिवालय (लेखा)' से पूर्व शब्द 'संयुक्त सचिवालय (लेखा)' को जोड़ करके खण्ड (3) में शब्द 'एन सचिवालय' प्रयोग किया जाएगा।</p> |

नियम 4 का संशोधन 2. मूल नियमवली के नियम 21 उप नियम (2) में निम्नलिखित जोड़ जायेगा:-

क्रमांक	परमाणु	वर्षों की सेवा		
		स्वामी	अध्यायी	योग
6	संयुक्त सचिव (लेखा)	-	02	02

नियम 5 का संशोधन

मूल नियमवली के नियम 5 के प्रस्तावी को पुनर्संशोधित करते हुए एक नया प्रस्ताव- "एक" निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा-

नियमवली में नीचे सलम्-1 में दिये गये वर्तमान नियम-5 में निम्नवत् सलम्-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

क्रमांक	परमाणु	सलम्-1 वर्तमान नियम	सलम्-2 संशोधित प्रस्तावित नियम
1	संयुक्त सचिव (लेखा) 02 पर	-	"बीजिक रूप से नियुक्त ऐसे उप सचिव (लेखा) में से जिनमें सर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को इस रूप में 01 वर्ष की सेवा पूरी का न हो, जो सेवा के अन्त पर पदोन्नति प्राप्त है।"
2	उप सचिव (लेखा) 02 पर	5.(एक) बीजिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुसंधान (लेखा) जिनमें प्रथम वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी का न हो, अनुसंधान को अन्तीकृत करते हुए, जो सेवा के अन्त पर पदोन्नति प्राप्त है।"	5.(एक) बीजिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुसंधान (लेखा) जिनमें प्रथम वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी का न हो, अनुसंधान को अन्तीकृत करते हुए, जो सेवा के अन्त पर पदोन्नति प्राप्त है।"
3	अनु सचिव (लेखा)	5.(एक) बीजिक रूप से नियुक्त अनुसंधान अधिकारी (लेखा) में से, जिनमें सर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में का न हो, का 03 वर्ष की सेवा पूरी का न हो, विभागीय प्रथम श्रेणी के अन्त में अनुसंधान को अन्तीकृत करते हुए, जो सेवा के अन्त पर पदोन्नति प्राप्त है।"	5.(एक) ऐसे स्वामी अनुसंधान अधिकारी(लेखा) में से, जिनमें अनुसंधान अधिकारी के रूप में का न हो, का 03 वर्ष की सेवा (जिसमें अन्त में अन्तीकृत सेवा भी है) की हो, पदोन्नति प्राप्त है।"
4	अनुसंधान अधिकारी (लेखा) /	(बी) बीजिक रूप से नियुक्त राष्ट्रीय अधिकारी (लेखा) में से, जिनमें सर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में का न हो, का पांच वर्ष की सेवा पूरी का न हो, विभागीय प्रथम श्रेणी के अन्त में अनुसंधान को अन्तीकृत करते हुए, जो सेवा के अन्त पर पदोन्नति प्राप्त है।"	(बी) स्वामी राष्ट्रीय अधिकारी(लेखा) में से, जिनमें राष्ट्रीय अधिकारी (लेखा) के रूप में का न हो, का दस वर्ष की सेवा (जिसमें अन्त में अन्तीकृत सेवा भी है) की हो, पदोन्नति प्राप्त है।"

सीमांती की प्रक्रिया

सूत्र-१	सूत्र-२
संज्ञान विषय	संज्ञानात् प्रतीकानां विषय
<p>सहायक संज्ञाकार के पद पर सीमांती की प्रक्रिया-</p> <p>१६ (१) प्रतिबंधिता परीक्षा में अभिविज्ञा होने की अनुमति के लिए अवरोध का अर्थोप हीट जारी विद्यमान के अधिनियमित प्रकाश में अधिक विवेक रखेंगे।</p> <p>(२) सीमांती की अवस्था को परीक्षा में अभिविज्ञा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास अवरोध द्वारा जारी विषय का प्रवेश पर न हो।</p> <p>(३) सहायक द्वारा अवरोध के पारदर्शिता के अभाव में प्रत्यक्ष रूप से अभिविज्ञा विषयों को प्रतिबंधित/प्रतिबंधित विहित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सार्वजनिक रूप से जारी करने के संबंध में अर्थोप हीट जारी विषय-६ के अधीन अनुसूचित परिधि, अनुसूचित जनजातियों और अन्य क्षेत्रों के अधिकाधिक को समान प्रतिबंधित सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक को सन्धी संकेत का न हो, ऐसा कि विहित परीक्षा में प्रवेश अधिकाधिक द्वारा प्राप्त करने से प्रकृत हो, एक सूची तैयार करने और जारी संकेत के अधिकाधिक को विहित-विज्ञान पर नियुक्ति के लिए परीक्षा करने, संसुक्त करने। यदि हो या अधिक अधिकाधिक द्वारा विहित परीक्षा में सन्धी अंक प्राप्त करने हो तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकाधिक को सूची में नाम रखा जाएगा। यदि हो या अधिक अधिकाधिक द्वारा प्राप्त अंक बढ़ना हो तो अनु में प्रवेश अधिकाधिक को सूची में नाम रखा जाएगा। अवरोध सूची नियुक्ति अधिकाधिक को अवरोधित करने।</p>	<p>सहायक सीमांती अधिकाधिक (संज्ञा) एवं सीमांती अधिकाधिक (संज्ञा) के पद पर सीमांती की प्रक्रिया-</p> <p>१६ (१) अवरोध प्रतीक/प्रतीकानां परीक्षा के प्रवेश के लिए अवरोध पर अभिविज्ञा करने। अवरोध पर विषय इन में विवेक रखेंगे।</p> <p>(२) अवरोध द्वारा जारी प्रवेश पर न होने किसी की अधिकाधिक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(३) अवरोध द्वारा अवरोध परीक्षा का प्रतिबंधित/प्रतिबंधित को, और ऐसे अधिकाधिक को जो वृत्त नियन्त्रण के अधीन सीमांती के संकेत हो, परीक्षा में प्रवेश देना।</p> <p>(४) सहायक द्वारा अवरोध के पारदर्शिता के अभाव में प्रत्यक्ष रूप से अभिविज्ञा विषयों को प्रतिबंधित/प्रतिबंधित विहित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सार्वजनिक रूप से जारी करने के संबंध में अर्थोप हीट जारी विषय-६ के अधीन अनुसूचित परिधि, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य क्षेत्रों के अधिकाधिक को समान प्रतिबंधित सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक को सन्धी संकेत का न हो, ऐसा कि विहित परीक्षा में प्रवेश अधिकाधिक द्वारा प्राप्त करने से प्रकृत हो, एक सूची तैयार करने और जारी संकेत के अधिकाधिक को संसुक्त करने, जो इस संकेत के अधिकाधिक द्वारा निर्धारित रूप तक पहुंच सकते हैं।</p> <p>(५) यदि विहित परीक्षा में हो या अधिक अधिकाधिक को प्राप्त अंक हो तो अधिकाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकाधिक का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा और यदि अधिकाधिक अंक प्राप्त करने हो तो अधिक अधिकाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकाधिक का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा।</p> <p>(६) अधिकाधिक अंक के पारदर्शिता होने पर अधिक अनु में अधिकाधिक का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा और अनु में नाम हो एक सूची के नाम अधिकाधिक संबंधित के अन्तर्गत रखे जाएंगे। अवरोध सूची नियुक्ति अधिकाधिक को अवरोधित करने।</p>

- नियम 15 का संशोधन 1. मूल नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 15 के उप नियम (1) में शब्द "एच सचिव (सेवा)" से पूर्व शब्द "संयुक्त सचिव (सेवा)" जोड़ दिए जाएंगे।
- नियम 16 का संशोधन 2. संयुक्त सचिव (सेवा) के पद की वैलिक शक्ति में का उसकी प्रतिनियुक्त किये जाने पर छ माह की अवधि के लिए परिवर्द्धित का रखा जायेगा।
- नियम 21 का संशोधन 3. मूल नियमावली (यथा संशोधित) के नियम 21 के उप नियम (2) में परिवर्द्धित करना, पदनाम एवं वेतनक्रम में क्रमांक-8 में निम्नलिखित प्रतिष्ठित कर दी जायेगी-
- "8. संयुक्त सचिव (सेवा) सी०१-13-80 1,18,500-2,14,000

आज्ञा की.

आनन्द बर्दान्,
संयुक्त सचिव।